

मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/892/आर 1133/चार/ब-1/09 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2009

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय,
भोपाल ।

विषय:- वर्ष 2010-11 का बजट कार्यक्रम ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान को 31 जनवरी, 2010 तक अन्तिम रूप दिया जाकर फरवरी माह में विधान सभा को प्रस्तुत किया जाना है । इसके लिये वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बजट अनुमान को अन्तिम रूप दिया जाना है । इस हेतु विस्तृत कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2/- वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें :-

- (i) अपर सचिव/ उप सचिव स्तर पर बजट चर्चा यथासंभव विभागाध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार के साथ ही की जायेगी । इस हेतु प्रतिनिधि मान्य नहीं होंगे। चर्चा का कलेण्डर पत्र के साथ संलग्न है ।
- (ii) विभागों की बजट बुक में बजट प्रावधान के अलावा पदों से संबंधित विवरण भी मुद्रित होता है । इस प्रकार दिनांक 31/3/2009 की स्थिति में पदों की जानकारी बजट बुक में विधानसभा में प्रस्तुत की जायेगी । अतः विभागाध्यक्ष से प्रमाणित की गई, आहरण संवितरण अधिकारी वार जानकारी प्रपत्र-“अ” पर 25 सितंबर, 2009 तक प्रदान की जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी प्रेषित की जाये ।

प्रपत्र " अ "

क्र	स्कीम का नाम व शीर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय का नाम व कोड	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड-पे	स्वीकृत पद (सांख्यतेर पद सहित)	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इसके अलावा विभाग अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र-ब पर दी जावे । यह जानकारी भी मुद्रा साफ्टवेयर में दी जाये ।

प्रपत्र-" ब "

क्र	स्कीम का नाम	पदनाम	पद पर कार्यरत व्यक्ति को मासिक भुगतान की दर (राशि रूपये में)	स्वीकृत पद	भरे पद
1	2	3	4	5	6

- (iii) अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करते हुये समान प्रकार की योजनाओं को मिलाकर (club) योजना का सुसंगत नामकरण किया जाना चाहिये । सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तीनों सेगमेंट में एक ही प्रकार की योजना होने पर उनके स्कीम कोड/ नामकरण समान रखे जाये ।
- (iv) मांग संख्याओं का युक्तियुक्तकरण एवं जिन मांग संख्याओं में सिर्फ रूपये 1000 का प्रावधान है, उन्हें समाप्त किया जाये ।
- (v) उद्देश्य शीर्ष # 42-007 अन्य एवं विस्तृत शीर्ष 008 अन्य में व्यय के सिर्फ ऐसे प्रावधान ही प्रस्तावित किये जाने चाहिये जिन्हें किसी भी अन्य विस्तृत शीर्ष में प्रस्तावित करना संभव न हो ।

- (vi) जेण्डर बजट की चर्चा, बजट चर्चा के साथ ही की जायेगी । अतः तदनुसार उक्त बजट हेतु भी प्रावधान प्रस्तावित किये जायें । योजनाओं में gender perspective को ध्यान में रखकर महिलाओं के विकास के लिये किस प्रकार अधिक राशि प्रावधानित की जा सकती है, के प्रयास किये जायें ।
- (vii) परिणामी बजट अंतर्गत वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में अगस्त, 09 तक विभाग द्वारा चिन्हित मापनीय प्रदेय (quantifiable deliverables) में लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति की जानकारी भी बजट चर्चा के साथ लाई जानी चाहिये, ताकि वर्ष 2010-11 हेतु उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना संभव हो सके ।
- (viii) कर एवं कर-भिन्न राजस्व को छोड़कर केन्द्र एवं अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशियों, यथा सहायक अनुदान, ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली की जानकारी निम्नांकित प्रपत्र पर दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये ।

क्र.	योजना का नाम	प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	रिमार्क
		केन्द्र से प्राप्तियां	ऋण वसूली	अन्य		
1.	2	3	4	5.	6.	7.

- (ix) कर राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों की चर्चा में करों में दी गई छूट/आस्थगन के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 के राजस्व की विभिन्न मदों में हुई कमी की राशि की जानकारी दी जाये । इसे आगामी वर्ष के बजट के समय विधानसभा को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है, अतः कमी की राशि की गणना सही विधि अपनाकर की जानी चाहिये ।
- (x) प्रत्येक योजना के लिये योजना का संक्षिप्त विवरण, वित्तपोषण की संरचना यथा राज्यांश/केन्द्रांश/ अन्य, का हिस्सा प्रतिशत में दर्शाया जाये । योजनांतर्गत

भविष्य में होने वाले वित्तपोषण में पूर्व से निर्धारित संशोधन एवं योजना प्रारंभ दिनांक से अब तक वर्षवार हुये संशोधनों की जानकारी भी दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्ट वेयर में भी दी जाये ।

क्रं	योजना का नाम	वित्त पोषण की संरचना (प्रतिशत में)			भविष्य में होने वाले वर्षवार निर्धारित संशोधन (प्रतिशत में)				योजना के प्रारंभ से अब तक हुये वर्षवार संशोधन (प्रतिशत में)			
		केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य	वर्ष	केन्द्र	राज्य	अन्य	वर्ष	केन्द्र	राज्य	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(xi) राज्य शासन की संस्थाओं को सीधे प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता (आफ बजट) राशियों का विवरण मुद्रा साफ्टवेयर में निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रस्तुत किया जाये ।


(xii) स्कीम कोड जिनमें वर्ष 2008-09 में रूपये 1 करोड़ या उससे अधिक के प्रावधान थे, उनमें बचत एवं समर्पित राशि की जानकारी भी संलग्न प्रपत्र में बजट चर्चा के समय लायी जाये। आगामी वित्तीय वर्ष में विभागों को बजट आवंटन त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । इस व्यवस्था अंतर्गत त्रैमास के अंत में शेष राशि व्यपगत हो जायेगी तथा इस बचत का उपयोग अनुपूरक अनुमानों के लिये किया जायेगा ।

क्र.	स्कीम कोड	08-09 में बजट प्रावधान	बचत राशि	समर्पित राशि	बचत/समर्पण के कारणों पर टीप
1	2	3	4	5	6

अतः आयोजना मद में प्रावधान की जाने वाली राशि के त्रैमासिक व्यय का प्रस्तावित विवरण दिया जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये ।

क्रं	योजना का नाम	कुल प्रावधान	त्रैमासिक प्रस्तावित व्यय (माह अप्रैल, 2010 से मार्च 2011 तक)			
			प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1	2	3	4	5	6	7

अनुरोध है कि संलग्न समय सारणी अनुसार संपूर्ण जानकारी के साथ बजट चर्चा में उपस्थित रहने का निर्देश सर्वसंबंधितों को दिये जाने का कृपया कष्ट करें ।


(जी० पी० सिंघल)

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ.कमांक/893 /आर 1133/चार/ब-1/09

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि :-

1- अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर

समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश

2- निबंधक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर
सचिव, लोक आयु क्त, मध्य प्रदेश, भोपाल


3- राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश भोपाल
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल

4- मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।

5- महालेखाकार (लेखा/आडिट) मध्य प्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।

6- वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



(अदिति कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

विषय:— वित्त विभाग में अवर सचिव / उप सचिव स्तर की चर्चाओं का कार्यक्रम

(प्रतिदिन समय 11.00 बजे से)

बजट शाखा का नाम	विभाग का नाम	अपर / उप सचिव चर्चा की दिनांक	
		राजस्व एवं आयोजनेतर	आयोजना
बजट शाखा-1	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय वाणिज्यिक कर परिवहन खनिज साधन उर्जा विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
बजट शाखा-2	आवास एवं पर्यावरण नगरीय प्रशासन एवं विकास वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार पर्यटन संस्कृति विमानन विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
		3.10.09	12.10.09
बजट शाखा-3	उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन सूचना प्रौद्योगिकी जैव विविधता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खेल एवं युवक कल्याण विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
		3.10.09	12.10.09
		25.9.09	13.10.09
		26.9.09	14.10.09
बजट शाखा-4	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता सं. मछलीपालन सहकारिता किसान कल्याण एवं कृषि विकास पशुपालन ग्रामीण विकास पंचायत एवं समाज कल्याण ग्रामोद्योग विभाग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
		3.10.09	12.10.09
		25.9.09	13.10.09
		26.9.09	14.10.09
		29.9.09	15.10.09

बजट शाखा-5	राजस्व धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व पुनर्वास महिला एवं बाल विकास, जनसम्पर्क वन विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
		3.10.09	12.10.09
बजट शाखा-6	चिकित्सा शिक्षा आदिम जाति अनुसूचित जाति क. पिछड़ा वर्ग 20 सूत्रीय कार्यन्वयन अल्पसंख्यक कल्याण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रास्दी राहत एवं पुनर्वास वित्त विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
		3.10.09	12.10.09
बजट शाखा-8	समान्य प्रशासन विभाग गृह जेल श्रम विधि एवं विधायी कार्य संसदीय कार्य विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09
		3.10.09	12.10.09
बजट शाखा-9	जल संसाधन नर्मदा घाटी आयाकट लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी लोक निर्माण विभाग	25.9.09	5.10.09
		26.9.09	6.10.09
		29.9.09	7.10.09
		30.9.09	8.10.09
		1.10.09	9.10.09

वर्ष 2010-2011 का अंतिम बजट कार्यक्रम

1	5 सितम्बर, 2009 तक	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को आयोजनेतर/आयोजना तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुमान हेतु मुद्रा साफ्टवेयर का प्रदाय
2	22 सितम्बर, 2009 तक	राजस्व प्राप्तियों / वसूलियों के बजट अनुमान 2010-2011 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
3	22 सितम्बर, 2009	आयोजना/आयोजनेतर बजट प्रस्ताव वर्ष 2010-2011 एवं नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
4	25 सितम्बर 2009 से 4 अक्टूबर, 2009 तक	राजस्व प्राप्तियों/आयोजनेतर बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
5	5 अक्टूबर, 2009 से 14 अक्टूबर, 2009 तक	आयोजना बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
6	15 अक्टूबर, 2009	प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2009-2010 के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि
7	20 अक्टूबर, 2009 से 30 अक्टूबर, 2009 तक	विभागीय सचिवों के साथ आयोजना / आयोजनेतर बजट प्रस्तावों पर वित्त सचिव स्तर पर चर्चा
8	5 नवम्बर, 2009 से 15 नवम्बर, 2009 तक	आवश्यकतानुसार विभागीय प्रमुख सचिव के साथ प्रमुख सचिव वित्त की चर्चा
9	31 दिसम्बर, 2009 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि
10	1 जनवरी, 2010 से 8 जनवरी, 2010 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
11	8 जनवरी, 2010	द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2009-2010 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
12	10 जनवरी, 2010	राज्य शासन द्वारा 2009-10 में दिनांक 31.12.2009 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
13	31 मार्च, 2010	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31-3-2010 तक पुनर्विनियोजन / समर्पण के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचना:-

- 1:- वर्ष 2010-2011 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जायेगा और न पुनर्विनियोजन प्रस्ताव ऊपर अंकित तिथि के बाद मान्य किया जायेगा, विभागों से निवेदन है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें ।
- 2:- वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक जी-25/9/90/नि-4, दिनांक 22-5-90 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता तथा अनुसूचित जातियों के लिये उप योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जायें ।
- 3:- वर्ष 2009-2010 प्रथम अनुपूरक अनुमान में शामिल की जाने वाली नवीन परियोजनाओं/कार्यों की सक्षम वित्तीय समिति से अनुशंसा 15 अक्टूबर, 2009 तक अवश्य प्राप्त कर ली जाये । सक्षम वित्तीय समितियों से अनुशंसित परियोजनाओं /कार्यों को ही प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान में शामिल किया जायेगा ।